<u>आवश्यक/बैठक/समयबद्ध</u>

<u>संख्या: 64/2017/3556/12-2-2017-एस.85/2008</u>

प्रेषक,

पवन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
सिंचाई/गन्ना/सहकारिता/ऊर्जा/राजस्व/संस्थागत वित्त/समन्वय/
लघु सिंचाई/ग्राम्य विकास/पंचायती राज/उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/
पशुधन/दुग्ध विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 22 सितम्बर, 2017

विषय: राज्य स्तरीय रबी उत्पादकता गोष्ठी, 2017 के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन पत्र संख्या: 3078/12-2-2017-एस.85/2008 दिनांक 08 सितम्बर, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 27 सितम्बर, 2017 को पूर्वान्ह 11:00 बजे कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में कृषि निदेशालय, लखनऊ स्थित प्रेक्षागृह में राज्य स्तरीय रबी उत्पादकता गोष्ठी, 2017 आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय रबी उत्पादकता गोष्ठी, 2017 अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गयी है। उक्त राज्य स्तरीय रबी उत्पादकता गोष्ठी, 2017 **अब दिनांक 04 अक्टूबर, 2017 को कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में कृषि निदेशालय, लखनऊ स्थित प्रेक्षागृह में** आयोजित की जायेगी जिसमें मा0 कृषि मंत्री जी द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया जायेगा।

2. अत: अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित रबी गोष्ठी में समय से प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पवन कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या: 64/2017/3556(1)/12-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कुलपति, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद/कानुपर/मोदीपुरम, मेरठ/सैमहिग्गजबॉटम इन्स्टीटयूट ऑफ एग्रीकल्चर टैक्नालॉजी एण्ड साईंसेज, इलाहाबाद तथा मान्यवर कांशीराम कृषि विश्वविद्यालय, बांदा।
2. विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन को कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन के अवलोकनार्थ।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग/गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. परियोजना समन्वय, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना, लखनऊ।
6. निबंधक, सहकारी समितियॉ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/पशुपालन/पंचायती राज/सूचना विभाग/कृषि विज्ञान संस्थान, वाराणसी, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी/राज्य ग्राम्य विकास प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ/राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, रहमानखेडा, लखनऊ/उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ/भूमि सुधार निगम, लखनऊ/कोआपरेटिव बैंक, लखनऊ।
8. प्रबंध निदेशक, यू0पी0स्टेट एग्रो इण्ड्स्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ/उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, फैजाबाद रोड, महानगर, लखनऊ।
9. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, गोमती नगर, लखनऊ।
10. सामान्य प्रबंधक, जनरल इन्श्योरेंस कारपोरेशन, लखनऊ।
11. क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीज निगम, पानदरीबा, चारबाग, लखनऊ।
12. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त रबी गोष्ठी के आयोजन के सम्बन्ध में समस्त अपेक्षित कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित कराते हुए समस्त संबंधित को अपने स्तर से सूचित करते हुए गोष्ठी में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।
13. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।
14. निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
15. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पवन कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।